न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1110–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–2–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 428/12–13/अपील.

———

प्रकाश पिता रमेशचंद शर्मा
द्वारा संरक्षक रमेशचंद पिता बिहारीलाल जी,
निवासी दलोदासगरा,
तहसील दलोदा जिला मंदसौर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

मांगीलाल पिता बिहारीलाल जी
निवासी दलोदा सगरा तहसील दलोदा
जिला मंदसौर ——— अनावेदक

———

श्री रमेशचंद स्वयं संरक्षक आवेदक की ओर से ।
श्री शैलेन्द्र सिसोदिया, अधिवक्ता, अनावेदक ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10.12.14 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 428/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–2–14 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य विस्तार से अधीनस्थ न्याालय के आदेश में उल्लिखित हैं इस कारण उन्हें पुनः दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं, जिनमें कोई त्रुटि नहीं है अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण

संहिता के धारा 131 के अंतर्गत रास्ते के संबंध में है । प्रकरण में विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय समवर्ती हैं । प्रकरण में समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने यह पाया है कि तहसीलदार न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय के पूर्व के निर्णय और उसमें हुए उभयपक्ष के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए उचित और विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और इसी कारण उक्त आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों के द्वारा की गई है । प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य या आधार नहीं बताया गया है जिसके आधार पर निष्कर्षों को दूषित माना जा सके और केवल निष्कर्ष दूषित होने पर ही पुनरीक्षण न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार रहता है अन्यथा नहीं । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर